दिनांक-23.07.2026

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना से सम्बन्धित 01 कान का कुण्डल, अवैध असलाह/कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 01 छुरा व घटना मे प्रयुक्त स्कूटी बरामद

घटना का विवरण –

दिनांक 20.07.2026 को वादिया श्रीमति रजनी गुप्ता पत्नि श्री नरेश कुमार गुप्ता निवासी 936 न्यू आवास विकास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर पर बावत स्कूटर सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के बाए कान का कुन्डल झपटा मार कर छीन ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 362/26 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही -

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट/झपटामारी आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 22.07.2026 को थाना प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार द्वारा मय फोर्स के दिल्ली रोड स्थित छिदबाना कट पर चेकिंग की जा रही थी. चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिये, पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया तो नही रूके और पुलिस को देखते ही स्कूटी सवार युवको ने स्कूटी न्यू आवास विकास की तरफ मोड दी और तेजी से भागते हुए पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, पुलिस टीम द्वारा बदमाशो का पीछा किया गया तो न्यू आवास विकास तिराहे के पास स्कूटी अनियन्त्रित होकर फिसल गयी, पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी करते हुए दोनों बदमाशो को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशो की पहचान ***1. रोहित सैनी उर्फ छोटू पुत्र अशोक सैनी निवासी केएलजी स्कूल के पास गली न0 04 शारदा नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर व 2. आयुष शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी गली न0 4 दरबारी चाय वाली गली शारदा नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *के रूप में हुई।* ***अभियुक्तगण के कब्जे से घटना से सम्बन्धित 01 कान का कुण्डल, अवैध असलाह/कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 01 छुरा*** *बरामद तथा* ***घटना में प्रयुक्त स्कूटी हीरो प्लेजर एमवी एक्ट में सीज*** *। गिरफ्तार* ***अभियुक्तगण थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 362/26 धारा 304(2) BNS में वांछित*** *चल रहे थे। मुकदमें से सम्बन्धित माल की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 368/2026 (धारा 109(1) BNS एवं 3/4/25/27 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

विवरण पूछताछ- *अभि0गण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो आपस में दोस्त है तथा सड़क पर आती जाती अकेली महिलाओं से झपटा मारकर कीमती सामान छीन कर भाग जाते है। कुछ टाइम से हम लोगो को पैसों की तंगी चल रही थी। घटना के सम्बन्ध में बताया कि इसी महीने की 20 तारीख को हम दोनो ने योजना के अनुसार सड़क पर*

अकेली जाती औरत के कान से झपटामार कर कुण्डल छीन लिया और भाग गये थे और आज हम लोग कुण्डल को बेचने के लिए किसी राह चलते ग्राहक की तलाश में निकले थे । और घटना करते समय लोगो को डराने धमकाने के लिए अपने पास चाकू व तमंचा/कारतूस रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. रोहित सैनी उर्फ छोटू पुत्र अशोक सैनी निवासी केएलजी स्कूल के पास गली न0-04 शारदा नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

2. आयुष शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी गली न0-04 दरबारी चाय वाली गली शारदा नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 देशी तमंचा 315 बोर*
- *01खोखा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर*
- *01 अदद छुरा/चाकू*
- *02 मोबाईल एक वीवो कम्पनी का व दूसरा मोबाईल नारजो रंग सफेद*
- *01 स्कूटी हीरो प्लेजर (घटना में प्रयुक्त)*

अभियुक्त रोहित सैनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 640/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 146/25 धारा 304(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 362/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त आयुष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 146/25 धारा 304(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 362/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रचित यादव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अमरीश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. है0का0 867 प्रवीण त्यागी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. का0 11 सुनील थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. का0 77 अरूण खोखर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. रि0का0 2126 सजीव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

दिनांक- 23.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एव वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगांव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना बडगांव पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्तगण ***1. तेजपाल पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम दल्हेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 254/16 धारा 380 भादवि में,* ***2. शेरपाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 1622/16 धारा 332/353/504/506 भादवि एव वाद संख्या 533/16 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम में व* ***3. कंवरपाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 1622/16 धारा 332/353/504/506 भादवि (मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) / न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द) में बड़गांव क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हेतु समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1- तेजपाल पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम दल्हेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2- शेरपाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3- कंवरपाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शेरपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 397/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जिला स0पुर
2- मु0अ0सं0 74/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जिला स0पुर
3- मु0अ0सं0 149/2005 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
4- मु0अ0सं0 161/2004 धारा 323/324/504/506/307 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
5- मु0अ0सं0 95/2005 धारा 332/353/504/506 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त कंवरपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 95/2005 धारा 332/353/504/506 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 161/2004 धारा 323/324/504/506/307 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त तेजपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 10/2005 धारा 380 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 मौ0 कामिल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3- उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
4- उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
5- उ0नि0 श्री महेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
6- कां0 42 शिवम कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
7- कां0 95 विकास कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
8- कां0 112 हिमांशु कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
9- कां0 1198 अनिल कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।

दिनांक 23.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर साइबर टीम द्वारा आनलाइन साइबर ठगी के शिकार हुए पीडित के खाते मे ठगी गयी 5000/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि आवेदक तरुण पुत्र ताराचन्द्र निवासी 12/181 निकट बूढी माइ चौक जाटव नगर बडी बस्ती थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 5000 /- रूपये धोखाधडी करके साइबर ठगी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर दिनांक 08.11.2025 को साइबर कम्पलैन्ट नम्बर 33111250157477 के 5000/- रुपये कटने के सम्बन्ध मे शिकायत प्राप्त हुयी थी । प्राप्त शिकायत की जाँच थाना कुतुबशेर पर गठित साइबर हैल्प डैस्क को प्राप्त हुई ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व पीडितों के खाते से ठगी गयी धनराशि वापस कराये जाने हुते जनपदीय साइबर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल साइबर क्राइम एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा उपरोक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित तरूण उपरोक्त के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी 5000/- रूपये की शतप्रतिशत पीडित के खाते में वापस करायी गई । साइबर फ्राड में ठगी गई धनराशि खाते में वापस पाकर पीडित तरुण उपरोक्त द्वारा थाना साइबर हेल्पडेस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्रॉड में गइ धनराशि बरामद कराने वाली साइबर टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री अभिषेक चौरसिया थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर*
3. *हैड का0 809 विनोद कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
4. *का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
5. *का0 1375 दिव्य प्रताप सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
6. *म0का0 2130 राखी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
7. *म0का0 887 रिंकी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
8. *म0का0 983 मीनू गिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक 23.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एंव वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान/ अन्य अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 रिकवरी वारण्टी अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र बिन्छाराम निवासी ग्राम बाल छप्पर मनार अड्डा थाना छप्पर जिला यमुनानगर हरियाणा*** *को सम्बन्धित वाद स0 367/19 धारा 125 सीआरपीसी को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टीगण के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता –

आशोक कुमार पुत्र बिच्छाराम निवासी ग्राम बाल छप्पर मनार अड्डा थाना छप्पर जिला यमुनानगर हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. *उ0नि0 अवशेष भाटी मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
2. *का0 2017 चिराग कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 1456 शुभम कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*

दिनांकः 23.07.2026

-प्रेस नोट-

थाना नानौता पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे मे फरार चल रहे 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 13.03.2026 को वादी श्री सोमपाल पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम हमामपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभि0गण द्वारा वादी व उसके परिवार जनो के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे दाखिल की । दाखिला तहरीर पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 54/2026 धारा 115(2),352,351(3) बीएनएस बनाम पवन आदि 04 के पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग मे धारा 332(सी)/109(1) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी ।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना नानौता पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में 02 ***वांछित अभियुक्तगण 1. वंश पुत्र सेठपाल निवासी ग्राम हमामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर व 2. निशान्त पुत्र पवन निवासी ग्राम हमामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम हमामपुर नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए* ***माननीय न्यायालय*** *के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः—

1. *निशान्त पुत्र पवन निवासी हमामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
2. *वंश पुत्र सेठपाल निवासी हमामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नानौता, जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री जयवीर सिह थाना नानौता, जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 1229 सुशील थाना नानौता, जनपद सहारनपुर*
4. *रि0का0 1730 विशेष थाना नानौता, जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 23.07.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से 197 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर (जिसकी अनुमानित कीमत 39 लाख रूपये) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा""** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **02 नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. समीर पुत्र शकील खान निवासी ग्राम तिलमास थाना व कस्बा मीरगंज जनपद बरेली व 2. तहजीम पुत्र वलीखान निवासी तिलमास थाना व कस्बा मीरगंज जनपद बरेली** को मिर्जापुर रोड पूर्वी यमुना नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक मोटरसाईकिल UP25CY7669 व 197 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 309/2026 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. समीर पुत्र शकील खान निवासी ग्राम तिलमास थाना व कस्बा मीरगंज जनपद बरेली

2. तहजीम पुत्र वलीखान निवासी तिलमास थाना व कस्बा मीरगंज जनपद बरेली

बरामदगी का विवरण-

- *99 ग्राम अवैध स्मैक **(अभियुक्त समीर उपरोक्त के कब्जे से)***
- *98 ग्राम अवैध स्मैक **(अभियुक्त तहजीम उपरोक्त के कब्जे से)***
- *01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)*

अभियुक्त समीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 228/2019 धारा 323, 452, 504, 506 भादवि थाना मीरगंज जनपद बरेली

2. मु0अ0सं0 407/2021 धारा 323, 324, 452, 504, 506 भादवि थाना मीरगंज जनपद बरेली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार लाम्बा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

2. हे0का0 357 अनुज कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

3. हे0का0 902 गोविन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर

4. का0 1802 बिट्टू कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

5. का0 05 उमंग थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक – 23.07.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 151 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों नशे के/ अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **– "ऑपरेशन सवेरा""नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** *अभियान चलाया जा रहा है।*

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिले देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1 हारिश उर्फ आरिज पुत्र यूनुस निवासी मौ0 शेखुल हिन्द कॉलोनी दारूल उलूम कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *को ईदगाह रोड कासिमपुरा अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 151 ग्राम अवैध चरस, बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व थाना देवबन्द पर* ***मु0अ0सं0- 533/2026 धारा 8/20 NDPS ACT*** *में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थो के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हारिश उर्फ आरिज पुत्र यूनुस निवासी मौ0 शेखुल हिन्द कॉलोनी दारूल उलूम कस्बा व थाना देवबन्द जनपद

बरामदगी का विवरण –

- *151 ग्राम अवैध चरस*

आपराधिक इतिहास-

1. *मु0अ0सं0- 676/2023 धारा 392/411 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 - 677/2023 धारा 392/411 थाना देवबन्द सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 - 678/2025 धारा 25, 27, 3, 4 आयुध अधि0 व 307 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *उ0नि0 संदीप कुमार, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
2. *है0का० 272 जुगेन्द्र, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2292 ब्रजेश कुमार, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
4. *रि0का0 730 अंकित, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*

दिनांक 23.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त साजिद पुत्र बहार अहमद निवासी मौहल्ला चांद कालोनी सुगरी मस्जिद गली न0-25 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को प्रभात सिनेमा पार्किग के सामने से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 180/2026 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साजिद पुत्र बहार अहमद निवासी मौहल्ला चांद कालोनी सुगरी मस्जिद गली न0-25 थाना मण्डी, सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 अदद अवैध चाकू*

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 248/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 59/2022 धारा 380/411 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 74/2022 धारा 379/420/468/471 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 47/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
5. मु0अ0स0 610/2022 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली मंडी जिला सहारनपुर
6. मु0अ0स0 615/2019 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली मंडी जिला सहारनपुर
7. मु0अ0स0 319/2025 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) थाना कोतवाली मंडी जिला सहारनपुर
8. मु0अ0स0 180/2026 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राकेश थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
2. है0का0 306 सोनू कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
3. है0का0 738 विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।

दिनांक- 23.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान ***02 अभियुक्तगण 01. अंश पुत्र वीर सिंह निवासी नुमाइश कैंप गोपाल नगर थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर व 2. वंश पुत्र वीर सिंह निवासी नुमाइश कैंप गोपाल नगर थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर*** *को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत आमदा फसाद करते हुए पुराना माधव नगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अंश पुत्र वीर सिंह निवासी नुमाइश कैंप गोपाल नगर थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर
2. वंश पुत्र वीर सिंह निवासी नुमाइश कैंप गोपाल नगर थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1258 विकास कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 23-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा धोखाधडी कर फर्जी प्रपत्रों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.03.2026 को वादी श्री मौ0 शाहिद अली पुत्र जाहिद अली नि0 ग्राम सोहनचिडा थाना नागल सहारनपुर द्वारा एक किता दाखिला तहरीर बावत अभि0 शाहनवाज पुत्र इरफान नि0 ग्राम सोहनचिडा थाना नागल सहारनपुर के द्वारा धोखाधडी करके अपने पुत्र के आधार कार्ड व पैन कार्ड पर उसकी जन्मतिथि परिवर्तित करके पासपोर्ट बनवा लेने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना नागल पर मु0अ0सं0 97/26 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गए। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 23.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में ***वांछित अभियुक्त शाहनवाज पुत्र इरफान निवासी ग्राम सोहनचिडा थाना नागल सहारनपुर*** *को मोनू डैन्टिंग-पैन्टिंग की दुकान के पास कस्बा नागल से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहनवाज पुत्र इरफान नि0 ग्राम सोहनचिडा थाना नागल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल सहारनपुर*
2. *उ0नि0 रनपाल सिंह थाना नागल सहारनपुर*
3. *रि0का0 1548 शरद त्यागी थाना नागल सहारनपुर*
4. *हो0गा0 1951 बलराम सिंह थाना नागल सहारनपुर*
5. *हो0गा0 1970 विक्रम सिंह थाना नागल सहारनपुर*

दिनांक 23.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 02 होन्डा एक्टिवा स्कूटी, 01 लैपटॉप मय चार्जर, 01 लोहा सब्बल, 01 बसौली, 2000/- रूपये नकद व 500 ग्राम अवैध चरस बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 29.06.2026 को वादी श्री राजेश मदान पुत्र स्व0 श्री अर्जुन दास निवासी जवाहर पार्क थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 28.06.2026 को वादी का एक्टिवा स्कूटर चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 322/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/नशा तस्करी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/नशा तस्कर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में* ***वांछित अभियुक्त पंकज उर्फ हमेश पुत्र फूलसिंह निवासी मौहल्ला मातागढ थाना मण्डी सहारनपुर*** *को मण्डी समीति परिसर में कूडाघर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 02 होन्डा एक्टिवा स्कूटी, 01 लैपटॉप मय चार्जर, 01 लोहा सब्बल, 01 बसौली लकडी/लोहा, 2000/- रूपये नकद (****मु0अ0सं0 322/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मण्डी में चोरी गयी स्कूटी बेचकर अर्जित पैसो से बचे हुए****) व 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। अवैध चरस व स्कूटी की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मण्डी पर* ***मु0अ0सं0 374/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस व धारा 336/318(4) बीएनएस*** *के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के अलग-अलग थानो पर कुल 11 मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पंकज उर्फ हमेश पुत्र फूलसिंह निवासी मौहल्ला मातागढ थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *01 होन्डा एक्टिवा स्कूटी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 179/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर)*
- *01 होन्डा एक्टिवा स्कूटी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 362/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात)*
- *2000/- रूपये नकद (****मु0अ0सं0 322/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मण्डी में चोरी गयी स्कूटी बेचकर अर्जित पैसो से बचे हुए****)*
- *01 लैपटॉप मय चार्जर,*

- *01 लोहा सब्बल,*
- *01 बसौली लकडी/लोहा*
- *500 ग्राम नाजायज चरस*

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 286/2021 धारा 380/411/454 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 178/2022 धारा 380/411/454 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 310/2022 धारा 398/401 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 311/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 50/2023 धारा 2/3 गिरोह बन्द अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 178/2026 धारा 305(ए)/331(3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 355/2019 धारा 380/411/454 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 372/2019 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0- 694/2019 धारा 2/3 गिरोह बन्द अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0- 209/2022 धारा 392/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 374/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस व धारा 336/318(4) बीएनएस थाना मण्डी, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1233 विपिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. है0का0 09 महबूब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
7. का0 1570 रवि तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 23-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 03 वर्ष 02 माह 27 दिन का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.03.2018 को वादी उ0नि0 श्री कंवरपाल सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त शहजाद पुत्र सलीम निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0स0-64/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-111/2018 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 23.07.2026 को अभियुक्त शहजाद पुत्र सलीम नि0 रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर उपरोक्त को मु0अ0स0-64/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 03 वर्ष 02 माह 27 दिन का कठोर कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित*** *किया गया।*

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चौहान।
विवेचक- निरीक्षक श्री छोटे सिंह।
पैरोकार-है0का0 अजय राणा थाना मिर्जापुर सहारनपुर।